संख्या— /43–XXVI (2002)/P.M.G.Y.(H.)/2005

प्रेषक,

दीक्षम सिंह पंवार,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

नियोजन अनुभाग।

देहरादूनः दिनांकः 08 ~~जनवरी~~ फरवरी, 2005

विषय— प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए वित्तीय वर्ष 2004–05 में केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–211/XXVI/पीएमजीवाई(Health)/04–43/नि0अनु0/2004 दिनांक 24 मई, 2004 एवं आपके पत्रांक–6प/नियो/16/2002/2004/1404 दिनांक 22 जनवरी, 2005 तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या–44 (6) पी0एफ0आई0/2004–204, दिनांक 13 जनवरी, 2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पी0एम0जी0वाई0 के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए औषधि ,उपकरण, स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण एवं उपकेन्द्रों का किराया आदि के लिए रूपये 7.00 करोड़ आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये संलग्न योजनाओं हेतु धनराशि रूपये 7.00 करोड़ (रूपये सात करोड़ मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2004–05 में प्रथम किश्त के रूप में रू0 3.50 करोड़ (रूपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अंतर्गत आपके निर्वतन में रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके यथा आवश्यकतानुसार ही किश्तों में किया जायेगा। इसका आहरण पूर्व स्वीकृत समस्त अथवा 80 प्रतिशत तक की धनराशि के उपयोग के उपरांत ही किया जायेगा । निर्माण कार्य से संबंधित योजनाओं के आंगणन लोक निर्माण विभाग की दरों पर सक्षम तकनीकी निर्माण एजेन्सी में बनवाकर उस पर सक्षम स्तर के तकनीकी अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3– उक्त धनराशि का व्यय केन्द्र से प्राप्त सहायता के आधार पर स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत अनुमोदित स्वीकृत परिव्यय की सीमा तक किया जायेगा।

4– उक्त स्वीकृत धनराशि की जनपद वार फांट भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार आपके स्तर से की जायेगी तथा इसका आवंटन वर्तमान नियमों/आदेशों तथा धनराशि का उपयोग समय–2 पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों/गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।

5– उक्त स्वीकृत योजना को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जायेगा तथा किसी अन्य योजना पर धनराशि का व्यय कदापि नहीं किया जायेगा एवं योजनाओं पर व्यय करने से पूर्व-जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम स्तर के अधिकारी का पूर्वानुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

6– स्वीकृत कार्यों पर होने वाला व्यय करते समय वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स, टेण्डर/कोटेशन के नियमों एवं मितव्ययता के संबंध में समय–2 पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जायेगा तथा जो उपकरण/सामग्री इत्यादि डी0जी0एस0 एण्ड डी0 पर हैं उन्हें इन्हीं दरों पर क्रय किया जायेगा।

7– उक्त प्रस्तर–2 से 4 में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन में विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक एवं मुख्य वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करते हुए सुव्यवस्थित लेखा रखेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि वे सूचना सम्पूर्ण विवरण सहित वित्त/नियोजन विभाग को दी जायेगी।

8– स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन, भारत सरकार एवं महालेखाकार को यथा समय उपलब्ध कराते हुए प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह के अन्त तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही दूसरी किश्त अवमुक्त की जायेगी।

9– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबंधित जनपदीय अधिकारी/निर्माण एजेंसी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे । प्रथम किश्त की स्वीकृत धनराशि का उपयोग 31 मार्च, 2005 तक निश्चित रूप से किया जायेगा । द्वितीय किश्त तभी जारी की जायेगी जब प्रथम किश्त का पूर्ण उपयोग हो जाय ।

10– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक में प्राविधानित अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–3451–सचिवालय आर्थिक सेवायें–00–आयोजनागत–092–अन्य कार्यालय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0101–प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (100 प्रतिशत केन्द्रांश)–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के मानें जाना जायेगा।

11– यह स्वीकृति वित्त विभाग अशासकीय संख्या–205/वि0अनु0–3/2005 दिनांक 02जनवरी, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव।

संख्या:– 66 (1) /43–XXVI (2002)/P.M.G.Y.(11)/200 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, राजपुर रोड, देहरादून।
2– उप निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, आय–व्ययक अनुभाग, नई दिल्ली को पत्र दिनांक 13 जनवरी, 2005 के क्रम में।
3– निदेशक, (आर0डी0) योजना आयोग, योजना भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4– प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरांचल शासन।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6– जिलाधिकारी, देहरादून ।
7– आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ, पौड़ी/नैनीताल।
8– निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तरांचल को मा0 मुख्यमंत्री के संज्ञानार्थ।
9– श्री एल0एम0 पंत, अपर सचिव, वित्त, बजट प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
10– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
11– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव।